न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला–अजमेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता ,(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध (उत्तराधिकार अधि.) संख्या 27/2024
सी.आई.एस.संख्या 72/2024
सी.एन.आर.नम्बर RJAJ010017322024

हंसराज बाकोलिया दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री रामेश्वरलाल, निवासी ग्राम नारेली, तहसील व जिला अजमेर।

–– प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय स्टेट बैंक जरिये इसके शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
2. भारतीय स्टेट बैंक जरिये इसके शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, नाका मदार, अजमेर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

उपस्थित:

1. श्री लवमेश दत्त शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मनीष प्रकाश माथुर, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश **दिनांक: 10.07.2026**

1. प्रार्थी हंसराज बाकोलिया दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री रामेश्वरलाल द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी मृतक रामेश्वरलाल का दत्तक पुत्र है, इस बाबत एक पंजीकृत गोदनामा दिनांक 22.11.2022 को निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय, अजमेर प्रथम के समक्ष पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 109 में पृष्ठ संख्या 114 क्रम संख्या 202203001400331 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 153 के पृष्ठ संख्या 124 से 132 पर दिनांक 23.11.2022 को चस्पा किया गया, तब से ही प्रार्थी मृतक रामेश्वरलाल का दत्तक पुत्र होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। प्रार्थी के दत्तक पिता रामेश्वरलाल व दत्तक माता रामप्यारी का देहान्त क्रमशः दिनांक 05.06.2023 व दिनांक 08.10.2022 को अजमेर में हो गया। मृतक रामेश्वरलाल के प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय श्री

रामेश्वरलाल ने अपने जीवनकाल में एफ.डी.आर. अप्रार्थीगण के यहां करवायी थी, जिनका सम्पूर्ण विवरण प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में दिया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय रामेश्वरलाल द्वारा छोड़ी गयी एफ.डी.आर. की राशि प्राप्त करने हेतु अप्रार्थीगण की बैंक शाखा में सम्पर्क किया, तो उन्होंने राशि देने से मना कर दिया। अतः प्रार्थी के पक्ष में उसके पिता द्वारा अप्रार्थीगण के यहां छोड़ी गयी राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जावे। मृतक ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की। प्रार्थी मृतक रामेश्वरलाल का दत्तक पुत्र होकर मृतक द्वारा छोड़ी गई प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में वर्णित राशियां प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी के पक्ष में उसके दत्तक पिता द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में वर्णित राशियों के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जावे। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' का विवरण निम्न प्रकार है।

<u>संशोधित अनुसूची 'अ ' दिनांकित 27.05.2025</u>

क्र.सं.	ऋणी का नाम	जिस मद में राशि	राशि व विशेष विवरण
1	अप्रार्थी संख्या–2 भारतीय स्टेट बैंक जरिये इसके शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, नाका मदार, अजमेर	एफ.डी.आर.खाता संख्या 34595724885	परिपक्वता राशि 14,29,170/– रूपये
2	अप्रार्थी संख्या–2 भारतीय स्टेट बैंक जरिये इसके शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, नाका मदार, अजमेर	एफ.डी.आर.खाता संख्या 61248490351	परिपक्वता राशि 15,05,884/– रूपये
कुल राशि 29,35,054/–रूपये अक्षरे उन्तीस लाख पैंतीस हजार चौपन रूपये			

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुए सम्मन जारी किये गये, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के दिनांक 26.01.2025 के अंक में करवाया गया तथा सम्मन सार्वजनिक स्थल पर भी चस्पा किये गये, किन्तु कोई आपत्तिकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत हुई। अप्रार्थीगण को भी सम्मन प्रेषित किये गये।

3. अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि खाताधारक रामेश्वरलाल के सावधि खाता संख्या 61248490351 में दिनांक 09.01.2025 तक कुल 14,88,941/–रूपये व 3458724335 में दिनांक 09.01.2025 तक कुल 14,89,873/–रूपये जमा है, जिसे न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में नामित

व्यक्ति को अदा करने हेतु तैयार व तत्पर है। खाताधारक ने अपने खाते में किसी को नॉमिनी नियुक्त नहीं किया है। अंत में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने को तैयार व तत्पर होना बताया।

4. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न बिन्दु विरचित किये गये–

1. आया प्रार्थी, प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वर्गीय रामेश्वरलाल का दत्तक पुत्र होने के नाते उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है?

– प्रार्थी

2. अनुतोष ?

5. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में ए.डब्ल्यू.1 हंसराज बाकोलिया ने मुख्य परीक्षा के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया, जिसमें उसने अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की अक्षरशः पुनरावृत्ति करते हुए कथित किया कि प्रार्थी मृतक रामेश्वरलाल का दत्तक पुत्र है, इस बाबत एक पंजीकृत गोदनामा दिनांक 22.11.2022 को उपपंजीयक कार्यालय, अजमेर प्रथम के समक्ष निष्पादित किया गया, तब से ही प्रार्थी मृतक रामेश्वरलाल का दत्तक पुत्र होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। प्रार्थी के दत्तक पिता रामेश्वरलाल व दत्तक माता रामप्यारी का देहान्त क्रमशः दिनांक 05.06.2023 व दिनांक 08.10.2022 को अजमेर में हो गया। मृतक रामेश्वरलाल के प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय श्री रामेश्वरलाल ने अपने जीवनकाल में एफ.डी.आर. अप्रार्थीगण के यहां करवायी थी, जिनका सम्पूर्ण विवरण प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में दिया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय रामेश्वरलाल द्वारा छोड़ी गयी एफ.डी.आर. की राशि प्राप्त करने हेतु अप्रार्थीगण की बैंक शाखा में सम्पर्क किया, तो उन्होंने राशि देने से मना कर दिया। अतः प्रार्थी के पक्ष में उसके पिता द्वारा अप्रार्थीगण के यहां छोड़ी गयी राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जावे। मृतक ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की। प्रार्थी मृतक रामेश्वरलाल का दत्तक पुत्र होकर मृतक द्वारा छोड़ी गई प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में वर्णित राशियां प्राप्त करने का अधिकारी है। न्यायालय के बयान में प्रार्थी ने प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 स्वयं का आधार कार्ड, प्रदर्श–2 स्वर्गीय श्री रामेश्वरलाल का आधार कार्ड, प्रदर्श–3 स्वर्गीय श्रीमती रामप्यारी का आधार कार्ड, प्रदर्श–4 स्वर्गीय श्रीमती रामप्यारी का मृत्यु प्रमाण–पत्र, प्रदर्श–5 स्वर्गीय श्री रामेश्वरलाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र, प्रदर्श–6 गोदनामा, प्रदर्श–7 बैंक की पासबुक, प्रदर्श–8 एफ.डी.आर. संख्या 34595724885 एवं प्रदर्श–9

एफ.डी.आर.संख्या–61248490351 को प्रदर्शित कराया गया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उसके द्वारा बैंक को कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया था। इन दो एफ.डी.आर.के अलावा अन्य कोई बचत खाता, सावधि जमा अथवा कोई ऋण संबंधी खाता शेष नहीं है। उसके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है, के कथन किये है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

6. प्रार्थी की ओर से मृतकगण रामेश्वरलाल व श्रीमती रामप्यारी देवी की अप्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के यहां जमा राशि के सम्बन्ध में संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 10.07.2026 पेश की, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

संशोधित अनुसूची 'अ ' दिनांकित 10.07.2026

क्र.सं.	ऋणी का नाम	जिस मद में राशि	राशि व विशेष विवरण
1	(अप्रार्थी संख्या–1) भारतीय स्टेट बैंक जरिये इसके शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय जे.एल.एन.मेडिकल कॉलेज, अजमेर	एफ.डी.आर.खाता संख्या 34595724885	परिपक्वता राशि 14,29,170/–रूपये
2	(अप्रार्थी संख्या–1) भारतीय स्टेट बैंक जरिये इसके शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय जे.एल.एन.मेडिकल कॉलेज, अजमेर	एफ.डी.आर.खाता संख्या 61248490351	परिपक्वता राशि 15,05,884/–रूपये
कुल राशि 29,35,054/–रूपये अक्षरे उन्तीस लाख पैंतीस हजार चौपन रूपये			

7. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

विवाद्यक संख्या–1–

8. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत अपने दत्तक पिता स्वर्गीय श्री रामेश्वरलाल द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 10.07.2026 में वर्णित सम्पत्ति/राशि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी स्वयं ने साक्ष्य में परीक्षित होकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 प्रार्थी का आधार कार्ड है, जिसमें उसमें पिता का नाम दत्तक पुत्र रामेश्वरलाल अंकित है। प्रदर्श–2 स्वर्गीय श्री रामेश्वरलाल का आधार कार्ड है। प्रदर्श–3 स्वर्गीय श्रीमती रामप्यारी का आधार कार्ड है, जिसमें उसके पति का नाम रामेश्वरलाल अंकित है। प्रदर्श–4 स्वर्गीय श्रीमती रामप्यारी का मृत्यु प्रमाण–पत्र है, जिसमें

उसकी मृत्यु की दिनांक 08.10.2022 व पति का नाम रामेश्वरलाल अंकित है। प्रदर्श–5 स्वर्गीय श्री रामेश्वरलाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र है, जिससे उसकी मृत्यु दिनांक 05.06.2023 को होना प्रकट होता है। प्रदर्श–6 गोदनामा एक रजिस्टर्ड गोदनामा है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त गोदनामा दिनांक 23.11.2022 को गवाह ओमप्रकाश व संतोषदेवी की उपस्थिति में स्वर्गीय श्री रामेश्वरलाल ने प्रार्थी हंसराज को दत्तक ग्रहण करते हुए उपपंजीयक प्रथम, अजमेर के यहां निष्पादित करते हुए रजिस्टर्ड करवाया है। प्रदर्श–7 भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 51046442073 की पासबुक है, जो खाता रामेश्वरलाल व श्रीमती रामप्यारी के नाम से होना प्रकट होता है। प्रदर्श–8 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर. संख्या 34595724885 है, जो एफ.डी.आर. रामेश्वरलाल के नाम से जारी की गई है। प्रदर्श–9 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर.संख्या–61248490351 है, जो एफ.डी.आर. रामेश्वरलाल व श्रीमती रामप्यारी के नाम से जारी की गई है, जो समय–समय पर परिपक्व होना बताया गया है।

9. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी के दत्तक माता–पिता श्रीमती रामप्यारी व श्री रामेश्वरलाल थे, जिनका देहान्त क्रमशः दिनांक 08.10.2022 व दिनांक 05.06.2023 को हो गया, जिनके प्रार्थी के अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के यहां मृतक रामेश्वरलाल के नाम से एफ.डी.आर. संख्या 34595724885 व मृतकगण रामेश्वरलाल व श्रीमती रामप्यारी के नाम से एफ.डी.आर.संख्या–61248490351 जारी की गई है, जिनमें राशि जमा है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा मृतकगण की प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 10.07.2026 में वर्णित एफ.डी.आर. होना और न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने को तैयार व तत्पर होना बताया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी की साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है। अतः तथ्यों व विधि का विवाद नहीं होने से मृतकगण रामेश्वरलाल व श्रीमती रामप्यारी के द्वारा छोड़ी गयी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 10.07.2026 में वर्णित राशियों के बाबत प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः विवाद्यक संख्या–1 का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02: अनुतोष:–

10. विवाद्यक संख्या 1 में किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी हंसराज के पक्ष में मृतकगण रामेश्वरलाल व रामप्यारी देवी द्वारा छोड़ी गई प्रार्थना–पत्र के साथ संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 10.07.2026 में वर्णित राशि बाबत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करना उचित प्रतीत होता है।

11. परिणामतः प्रार्थी हंसराज बाकोलिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हंसराज बाकोलिया को मृतकगण रामेश्वरलाल व रामप्यारी देवी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। प्रार्थी मृतकगण रामेश्वरलाल व रामप्यारी देवी के नाम से अप्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के यहां जमा राशि, जिसका विवरण प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 10.07.2026 में दिया गया है, जो निम्ननानुसार है–

क्र.सं.	ऋणी का नाम	जिस मद में राशि	राशि व विशेष विवरण
1	(अप्रार्थी संख्या–1) भारतीय स्टेट बैंक जरिये इसके शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय जे.एल.एन.मेडिकल कॉलेज, अजमेर	एफ.डी.आर.खाता संख्या 34595724885	परिपक्वता राशि 14,29,170/–रूपये
2	(अप्रार्थी संख्या–1) भारतीय स्टेट बैंक जरिये इसके शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय जे.एल.एन.मेडिकल कॉलेज, अजमेर	एफ.डी.आर.खाता संख्या 61248490351	परिपक्वता राशि 15,05,884/–रूपये
कुल राशि 29,35,054/–रूपये अक्षरे उन्तीस लाख पैंतीस हजार चौपन रूपये			

को मय लाभ–परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रार्थी हंसराज बाकोलिया द्वारा उचित न्याय शुल्क (Court Fee) पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

12. आदेश आज दिनांक 10.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर